महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

31वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 28 फरवरी, 2020 (शुक्रवार)

समय : पूर्वाह्न 10:30 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

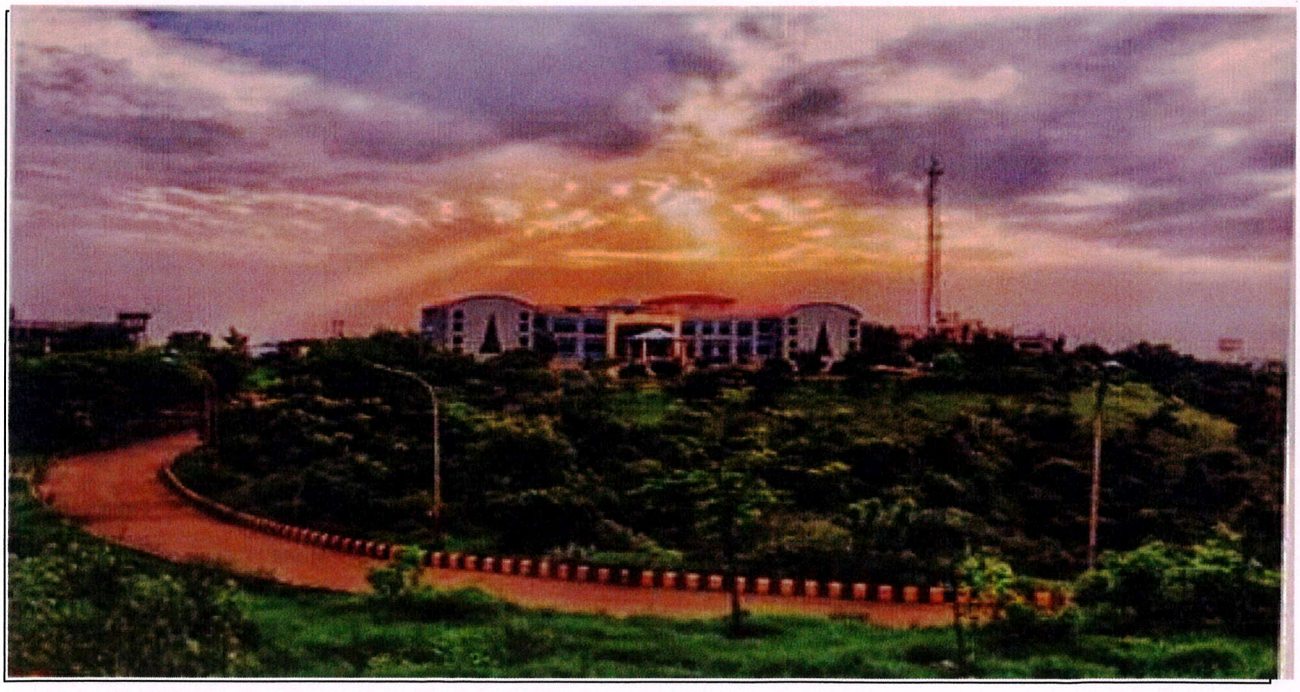

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 31वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 28.02.2020 (शुक्रवार)

समय : पूर्वाह्न 10:30 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	विद्या–परिषद में नए सदस्यों का नामांकन एवं स्वागत	1–2
1.	विद्या–परिषद में बाह्य विशेषज्ञों का सदस्य के रूप में नामांकन	3
2.	प्रवेश/परीक्षा देने हेतु न्यूनतम प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण होने का निर्धारण	
3.	क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज (इलाहाबाद) में एम.ए.,एम.फिल.,पी–एच.डी हिंदी साहित्य का प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव	4
4	प्रवेश परीक्षा सत्र 2020–21 के संबंध में सूचना	
5.	सत्र 2020–21 में प्रवेश आवेदन के साथ माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य	5
6.	सत्र 2020–21 से एम.टेक. प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया	
7.	प्रो. संतोष भदौरिया के अधीन शोध कर रहे शोधार्थियों के संबंध में प्रस्ताव	
8.	विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव	6
9.	प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम एवं अकादमिक कैलेंडर	
10.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	
10.1.	उर्दू और अंग्रेजी विभाग को हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में समाहित करना	
10.2.	उर्दू एवं संस्कृत के विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की समतुल्यता तथा स्वीकार्यता के लिये समतुल्यता (Equivalence) समिति का गठन	7
10.3.	प्रो. अनिल कुमार राय को उनके पूर्व शोधार्थियों का शोध निदेशक बनाने की स्वीकृति	
10.4.	विश्वविद्यालय के नियमित कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, सेवाग्राम में कैशलेस सुविधा प्रदान करना	
10.5.	महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम के साथ संयुक्त भागीदारी से एड ऑन (add on) कोर्सेस चलाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति	

10.6	महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम के संयुक्त भागीदारी में गांवों में कार्य किये जाने का निर्णय	7
10.7.	विद्या–परिषद की अगली बैठक की तिथि का निर्धारण	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

विद्या–परिषद की 31वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत्त

विद्या–परिषद की 31वीं (विशेष) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2020 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी वर्मा सभागार, वर्धा में आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	प्रतिकुलपति अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंत. अ. केंद्र
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
5.	प्रो. प्रीति सागर	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग विभागाध्यक्ष, संस्कृत, उर्दू एवं मराठी विभाग
6.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ निदेशक, भ. आं.कौ.बौद्ध अध्ययन केंद्र
7.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग

8.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
9.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
10.	प्रो. अवधेश कुमार	प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
11.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, (प्रयागराज) इलाहाबाद
12.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	विभागाध्यक्ष, भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
13.	प्रो. फरहद मलिक	विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग
14.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
15.	डॉ. शिरीष पाल सिंह	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान एवं प्रबंधन विभाग
16.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
17.	डॉ. रामानुज अस्थाना	एसोशिएट प्रोफेसर
18.	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी	एसोशिएट प्रोफेसर
19.	श्री शरद जायसवाल	सहायक प्रोफेसर
20.	डॉ. बीर पाल सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर
22.	डॉ. अख्तर आलम	सहायक प्रोफेसर
23.	डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
24.	डॉ. उमा यादव	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
25	श्री वैभव उपाध्याय	छात्र प्रतिनिधि
26.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि
27.	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (f) के अंतर्गत कुलपति द्वारा विद्या–परिषद में नामित डॉ. शिरीष पाल सिंह, डॉ. रवींद्र बोरकर, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. अमरेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. अमित राय, श्री संदीप कुमार सपकाले और डॉ. शैलेश मरजी कदम, सहायक प्रोफेसर का विद्या–परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल दिनांक 15.11.2019 को समाप्त हो गया। उनके स्थान पर डॉ. रामानुज अस्थाना, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. अनिर्वाण घोष, सहायक प्रोफेसर, श्री शरद जायसवाल, सहायक प्रोफेसर, डॉ. बीर पाल सिंह यादव, सहायक प्रोफेसर और डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर को दो वर्ष के लिए विद्या–परिषद का सदस्य नामित किए जाने की सूचना दी गई। भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी और डॉ. उमा यादव के विद्या–परिषद सदस्य के रूप में नामांकन से विद्या–परिषद अवगत हुयी।

विद्या–परिषद ने सभी निवर्तमान सदस्यों के योगदान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा नये सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रो. अवधेश प्रधान, प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा, प्रो. वृषभ प्रसाद जैन, प्रो. एल. कारूण्यकरा, प्रो. विजय कुमार कौल, डॉ. ओमप्रकाश भारती, डॉ. शोभा पालीवाल, डॉ. अनिर्वाण घोष व्यक्तिगत कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये।

मद संख्या–1

विद्या–परिषद में बाहय विशेषज्ञ का सदस्य के रूप में नामांकन

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) के प्रावधान के तहत सर्वसम्मति से निम्नांकित विशेषज्ञों को विद्या–परिषद का सदस्य नामित किया गया :

1. प्रो. कुमुद शर्मा, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय को पुनः दो वर्ष के लिए विद्या–परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।
2. प्रो. राजनारायण शुक्ल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ को दो वर्ष के लिए विद्या–परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।

मद संख्या–2

प्रवेश/परीक्षा देने हेतु न्यूनतम प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने का निर्धारण

दिनांक 14 जुलाई, 2005 को संपन्न विद्या–परिषद की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रथम अकादमिक अध्यादेश में –Process regarding M.A. Admission/Examination के क्रम संख्या 14. "The candidate shall be required to clear at least 2 papers in each Semester" का उल्लेख है। पूर्व में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 4 प्रश्न–पत्र तक सीमित होते थे, जिसमें प्रति सेमेस्टर 2 प्रश्न–पत्र (50%) उत्तीर्ण करवाना अनिवार्य था। वर्तमान में संचालित स्नातकोत्तर एवं स्नातक के पाठ्यक्रमों में पृथक पाठ्यचर्चा क्रेडिट विवरण के अनुसार प्रति सेमेस्टर लगभग 6 से 10 प्रश्न–पत्र भी होते हैं। ऐसी दशा में अगले सेमेस्टर में प्रवेश/परीक्षा देने हेतु न्यूनतम प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने पर विचार करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करने की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता की संस्तुति पर कुलपति द्वारा अगले सेमेस्टर में परीक्षा देने की अनुमति दी जाये। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा न दे पाने/उपस्थित न हो पाने/उत्तीर्ण न होने के उचित कारण शपथपत्र पर प्रस्तुत किये जायेंगे। कारण गलत पाये जाने पर विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

मद संख्या–3

क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज (इलाहाबाद) में एम.ए.,एम.फिल.,पी–एच.डी हिंदी साहित्य का प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज (इलाहाबाद) में एम.ए., एम.फिल. तथा पी–एच.डी. हिंदी साहित्य विषय को सत्र 2019–20 से प्रशासनिक कारण से बंद किया गया था। अभी केंद्र के अकादमिक निदेशक हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ है। केंद्र के अकादमिक निदेशक की विषय विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इस सत्र 2020–21 से केंद्र पर हिंदी साहित्य में एम.ए., एम. फिल. तथा पी–एच.डी. प्रारंभ करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज (इलाहाबाद) तथा कोलकाता में उपलब्ध शिक्षकों द्वारा एम. फिल/पी–एच.डी कराये जाने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। पंजीयन संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल (Board of Studies) के माध्यम से वर्धा मुख्यालय में ही होगा तथा पाठ्यचर्या कार्य (Course Work) वर्धा में पूर्ण करने के उपरांत ही शोधार्थी क्षेत्रीय केंद्र जा सकेंगे। प्रवेश विज्ञापन में इसे शामिल किया जाये।

मद संख्या–4

प्रवेश परीक्षा सत्र 2020–21 के संबंध में सूचना

1. पी–एच.डी/एम.फिल./एम.एड./एम.बी.ए./बी.एड. में सत्र 2020–21 के लिए प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 15 अप्रैल 2020 से 29 मई 2020 तक होगी।
2. अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 15 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक होगी
3. प्रवेश परीक्षा के लिए वर्धा, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, इलाहाबाद, पटना एवं गुवाहाटी परीक्षा केंद्र होंगे।
4. स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (प्रवेश परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में सीधे विभागीय स्तर पर साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया की जाएगी।

निर्णय : विद्या–परिषद द्वारा उपर्युक्त बिंदुओं का संज्ञान लिया तथा प्रवेश परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं पर प्रवेश समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–5

सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय माइग्रेशन जमा करना अनिवार्य

सत्र 2020–21 से प्रवेश लेते समय माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा करवाना अनिवार्य किया जा सकता है, माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा न किये जाने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश आवेदन के साथ अपनी योग्यता से संबंधित मूल दस्तावेज संलग्न करने के लिए कहा जा सकता है। मूल दस्तावेज संलग्न करने पर माइग्रेशन जमा करने के लिए अधिकतम एक माह समय दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्यार्थियों/शोधार्थियों को सत्र 2020–21 से प्रवेश लेते समय माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करने पर माइग्रेशन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक माह की अवधि देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–6

सत्र 2020–21 से एम.टेक. प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया

सत्र 2020–21 से एम.टेक., पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एंडवांस डिप्लोमा आदि में प्रवेश हेतु अलग से प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाने पर विचार किया जा सकता है। समस्त पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर अनुसार पाठ्यचर्या, क्रेडिट विवरण (अद्यतन) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रवेश परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता परीक्षा की मेरिट के आधार पर या साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित किया जाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अध्यादेश विवरण पृष्ठ 9 से 12 तक उपलब्ध है।

निर्णय : एम.टेक पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में निर्णय के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया। पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा के लिये अलग से विज्ञापन किया जाये। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को bonafide विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएँ (यथा छात्रावास आदि) नहीं दी जायेगी।

मद संख्या–7

प्रो. संतोष भदौरिया के अधीन शोध कर रहे शोधार्थियों के संबंध में प्रस्ताव

क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद) के शोधार्थी जो प्रो. संतोष भदौरिया के अधीन शोध कर रहे शोधार्थियों के संबंध में प्रस्तावित है कि इसे विशेष व्यवस्था के रूप में शोधार्थियों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज (इलाहाबाद) के अकादमिक निदेशक प्रो. अखिलेश कुमार दुबे के अधीन स्थानांतरित करते हुए शोध छात्रों का शोध कार्य पूरा करने की

अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस पूरे प्रकरण पर जाँच हेतु तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की जा सकती है।

निर्णयः क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद) में प्रो. संतोष भदौरिया के अधीन शोध कर रहे शोधार्थियों के व्यापक अकादमिक हित में शोधार्थियों को केंद्र के अकादमिक निदेशक प्रो. अखिलेश कुमार दुबे या विश्वविद्यालय में कार्यरत जिस अध्यापक के अधीन शोध जारी रखना चाहते उनके अधीन शोध करने का विकल्प देने का निर्णय लिया गया।

इस पूरे प्रकरण पर जाँच हेतु तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–8

विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव

विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद में नामित विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :

1. नेट की कक्षाएँ अगले सत्र से सुचारू रूप से संचालित की जाएगी।
2. आंतरिक परीक्षा के अंक विभागीय सूचना पट्ट पर प्रकाशित किये जायेंगे।
3. सत्रांत परीक्षा की दृष्टि से 24 घंटे अध्ययन के लिए सीसीटीवी निगरानी में अध्ययन कक्ष की व्यवस्था की जायेगी तथा इसके लिए न तो कक्षाओं से अनुपस्थिति की छूट दी जायेगी न ही छात्रावास नियमों में कोई बदलाव किया जायेगा।

मद संख्या–9

प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम एवं अकादमिक कैलेंडर

सत्र 2020–2021 में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम एवं अकादमिक कैलेंडर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सत्र 2020–2021 में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम एवं अकादमिक कैलेंडर का विद्या–परिषद ने संज्ञान लिया तथा इस संबंध में प्रवेश समिति की अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–10

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

10.1 साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित उर्दू और अंग्रेजी विभाग को हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में समाहित करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त दोनों विभागों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.ए.) को अगले सत्र से हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में संचालित करने का विभाग की Board of Studies तथा स्कूल बोर्ड की अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जायेगा।

10.2. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता के संबंध में उर्दू एवं संस्कृत के विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की समतुल्यता तथा स्वीकार्यता के लिये प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में सभी अधिष्ठाताओं की समतुल्यता (Equivalence) समिति गठित की करने का निर्णय लिया गया।

10.3. विद्या–परिषद की दिनांक 16.10.2019 को संपन्न 30वीं बैठक में जनसंचार विभाग के पी–एच.डी. सत्र 2017–18 के शोधार्थी वैभव कुमार उपाध्याय, अनुपम कुमार राय और सुधा वर्मा को उनके शोध निर्देशक प्रो. अनिल कुमार राय के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण नये शोध निर्देशक आवंटित करने के अध्ययन मंडल के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। किंतु प्रो. अनिल कुमार राय के प्रतिनियुक्ति से वापस आने की स्थिति में प्रो. अनिल कुमार राय को उपर्युक्त शोधार्थियों का शोध निदेशक बनाने की स्वीकृति दी गयी।

10.4. विश्वविद्यालय के नियमित कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, सेवाग्राम में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के संबंध में वार्ता संबधी सूचना विद्या–परिषद को दी गई।

10.5. महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम के साथ संयुक्त तत्वावधान से एड ऑन (add on) कोर्सेस चलाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी।

10.6. विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी फ्युजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र द्वारा गाँवों में चलाएँ जा रहे विकास कार्यों में महात्मा गांधी इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम के संयुक्त भागीदारी में गांवों में कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

10.7. विद्या–परिषद की अगली बैठक दिनांक 27.04.2020 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई

क़ादर नवाज़ 02/03/2020

(क़ादर नवाज़ ख़ान)

कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा